"क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" योजना सुरु करणेबाबत....

महाराष्ट्र शासन

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : भविजा-२०२३/प्र.क्र.२७/योजना-३

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२५

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्राची भूमी ही अनेक ऐतिहासिक घटनांची साक्षीदार आहे. त्यामध्ये सन १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढयाच्या अगोदरही अनेक लढे झाले. अशाच लढयाद्वारे इंग्रजांना सळो की पळो करुन सोडणारे व स्वातंत्र्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उत्तरिवण्यासाठी झटणारे क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक होते. यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यभिषेकाला ३५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्यात गुप्तहेर खात्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजबांधवांचा मोठया प्रमाणात समावेश होता. ब्रिटिशाविरोधात लढणारे क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीपैकी एक असलेल्या म्हणजेच रामोशी समाजातील होते. यास्तव त्यांच्या नावाने राज्यातील भटके व विमुक्त समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होण्यासाठी कला, समाजप्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या साहित्यिक, समाज प्रबोधनकार व समाजसेवक अशा व्यक्तिंना व यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १०/१०/२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होण्यासाठी सामाजिक, कलात्मक, समाज प्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या साहित्यिक, समाज प्रबोधनकार व समाजसेवक अशा व्यक्तिंना आणि यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" यांच्या नावाने पुरस्कार देवून सन्मानित करण्याच्या योजनेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

- २. सदर पुरस्काराची निवड, निकष, पात्रता, नियमावली इत्यादीबाबतचे नियम सोबतच्या परिशिष्ट अ, ब, क व ड मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत.
- ३. सदरच्या पुरस्कारासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष घेण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
- ४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला त्याचा असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०२१३१३२५४९६६३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(र. रा. पेटकर) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.उपमुख्यमंत्री (नगरविकास व गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई

- ४)मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ५) सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई / नागपूर.
- ८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई / नागपूर.
- ११) जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे.
- १२) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे.
- १३) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे.
- १४) सर्व प्रादेशिक उपसंचालक , इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग.
- १५) सर्व सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण.
- १६) सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
- १७) निवासी लेखा परिक्षक, मुंबई.
- १८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- १९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- २०) निवड नस्ती (योजना -३).

परिशिष्ट- अ

"क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" योजना नियमावली शासन निर्णय क्रमांक: भविजा-२०२३/प्र.क्र.२७/योजना-३, दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२५.

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, समाजप्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या साहित्यिक, समाजप्रबोधनकार व समाजसेवक तसेच त्यासाठी कार्य करणाऱ्या संस्था व व्यक्तीस "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" देण्याकरीता खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती निश्चित करण्यात येत आहेत:-

| अ. | | तपशील | | |
|----|-----------|---|--|--|
| 鋉. | | | | |
| ०१ | संक्षिप्त | सदर योजनेस "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" असे संबोधण्यात यावे. | | |
| | शीर्षक | | | |
| ०२ | उद्दिष्ट | विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी सामाजिक, कलात्मक, समाज संघटनात्मक, | | |
| | | आध्यात्मिक प्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्तिंच्या व संस्थांच्या | | |
| | | कामाची दाद/दखल घ्यावी व इतरांना त्यापासून प्रेरणा मिळावी, जेणेकरुन या समाजातील | | |
| | | समाजसेवक, कलावंत, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, आध्यात्मिक प्रबोधनकार व | | |
| | | साहित्यिक पुढे यावेत. | | |
| ०३ | सामाजिक | विमुक्त जाती व भटक्या जमातीकरीता सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, समाज | | |
| | कार्याचे | संघटनात्मक, आध्यात्मिक प्रबोधन व आर्थिकदृष्ट्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या व्यक्ती व | | |
| | स्वरुप | संस्थाना सदर योजना लागू असेल. | | |
| | | | | |
| ०४ | पुरस्कार | पुरस्कार पुढीलप्रमाणे राहतील :- | | |
| | | विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी कार्य करणारे समाजसेवक, समाज संघटनात्मक | | |
| | | कार्यकर्ते, आध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिक अशा व्यक्तिंसाठी :- | | |
| | | १) शासनाने मान्यता दिलेले सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह | | |
| | | २) रु.२५,०००/- रोख रक्कम/धनादेश | | |
| | | ३) रु.५१,०००/- रोख रक्कम/धनादेश | | |
| | | ४) एक शाल किंवा साडी-खण आणि श्रीफळ | | |
| | | विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेसाठी :- | | |
| | | १) शासनाने मान्यता दिलेले सन्मानपत्र | | |
| | | २) स्मृति चिन्ह ज्यावर संस्थेचे नाव असेल | | |
| | | ३) रु.५१,०००/- रोख रक्कम/धनादेश | | |
| | | ४) शाल व श्रीफळ | | |
| ०५ | पात्रता | समाजसेवक, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, आध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिक | | |
| | | अशा व्यक्तिंसाठी :- | | |
| | | १) या योजनेनुसार विमुक्त जाती व भटक्या जमातीकरिता सामाजिक, शैक्षणिक, | | |
| | | सांस्कृतिक, समाज संघटनात्मक, आध्यात्मिक प्रबोधन व आर्थिकदृष्ट्या कल्याणासाठी | | |
| | | कार्य करणारे नामवंत, समाज्सेवक, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, आध्यात्मिक | | |
| | | प्रबोधनकार व साहित्यिक असावेत. | | |

| | | २) विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, समाज | | |
|--|--|--|--|--|
| | | संघटनात्मक, आध्यात्मिक प्रबोधन व आर्थिकदृष्ट्या कल्याणासाठी या क्षेत्रात कमीत | | |
| | कमी दहा (१०) वर्षे कार्य केलेले असावे. | | | |
| | | ३) पुरस्कारार्थींचे वय खालीलप्रमाणे असावे : | | |
| | | अ. पुरुषांचे वय ४५ वर्षे अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे. | | |
| | | अ. पुरुषाच वय ४५ वर्ष अथवा त्यापक्षा जास्त असाव. आ . स्नियांचे वय ४० वर्षे अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे. | | |
| | | | | |
| | | इ. अपवादात्मक प्रकरणी वय शिथिल करण्याचे अधिकार निवड समितीकडे | | |
| | | राहतील. | | |
| | | ४) कोणत्याही व्यक्तीस एकापेक्षा अधिक वेळा सदर पुरस्कारासाठी पात्र समजण् | | |
| | | येणार नाही. | | |
| | | ५) पुरस्कार मिळण्यास पात्रता व्यक्तिगत, मौलिक कार्यावरुन ठरविण्यात येईल. | | |
| | | समाजातील त्यांच्या पदाच्याबाबतीत विचार करण्यात येणार नाही. | | |
| | | ६) सदर पुरस्कार मिळण्यास आमदार/खासदार/जिल्हा परिषद सदस्य किंवा (यापैकी | | |
| | | <u>वरीष्ठ दर्जाचा)</u> लोकप्रतिनिधी पात्र असणार नाही. | | |
| | | ७) वरील क्षेत्रात कमीत कमी 10 वर्षे वैयक्तिक किंवा संघटनात्मक अभिजात कार्य | | |
| | | करणाऱ्या व्यक्ती या पुरस्कारास पात्र असतील. | | |
| संस्थांसाठी :- | | | | |
| | | १) समाजकल्याण क्षेत्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या उन्नतीसाठी शिक्षण, | | |
| | | आरोग्य, अध्यात्मिक विकास करणे, अन्याय निर्मुलन करणे, अंधश्रध्दा निर्मुलन करणे, | | |
| सामाजिक न्याय मिळवून देणे, समाजाला संरक्षण मिळवून देणे, सामा | | 5, | | |
| | | संघटनात्मक जनजागरण करणे इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना हा पुरस्क | | |
| | | दिला जाईल. | | |
| | | २) संस्था खालीलप्रमाणे नोंदणीकृत असावी:- | | |
| | | अ) संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० | | |
| | | ब) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० | | |
| | | क) सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी ॲक्ट,२०१३ (१८ ऑफ २०१३) ॲड | | |
| | | रुल १८ ऑफ द कंपनी (इनकॉर्पोरेशन) रुल्स,२०१४ | | |
| | | ३) स्वयंसेवी संस्थेचे वरील मुदृा क्रमांक १ मध्ये दर्शविलेल्या क्षेत्रात १० वर्षाहुन अधिक | | |
| | | सेवा व कार्य असावे, विशेष मौलिक व भरीव काम करणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत अट | | |
| | अपवाद म्हणून शिथिल करण्याचे अधिकार निवड समितीस राहतील. | | | |
| | | ४) स्वयंसेवी संस्था राजकारणापासून अलिप्त असावी. तसेच तिचे पदाधिकारी/त्यांचे | | |
| | | कार्य व सेवाही पक्षातीत व राजकारणापासून स्वतंत्र व अलिप्त असावे. | | |
| | | ५) विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची समाजसेवा आणि समाजाचा विकास या क्षेत्रातील | | |
| | | कामाचा विचार करुनच हा पुरस्कार स्वयंसेवी संस्थांना दिला जाईल. | | |
| ०६ | पुरस्काराची | १) विभाग स्तरावर व्यक्तींसाठी दरवर्षी प्रत्येक विभागासाठी एक (१) याप्रमाणे एकूण | | |
| | संख्या | 9 | | |
| | | २) राज्य स्तरावर व्यक्तींसाठी दरवर्षी एक (१) पुरस्कार देण्यात येईल. | | |
| | | ३) राज्य स्तरावर संस्थांसाठी दरवर्षी एक (१) पुरस्कार देण्यात येईल. | | |
| | | ४) यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार निवड सिमतीस राहील. | | |
| | | | | |

०७ अर्जाच्या शिफारशीची पध्दत व छाननी

अर्जाच्या शिफारशी समाजसेवक, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, विषयी पध्दत व आध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिकांसाठी :-

सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी कार्य करणारे समाजसेवक, कलावंत, समाजसंघटनात्मक कार्यकर्ते, अध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिक यांचे प्रस्ताव मागवून त्याची जिल्हा स्तरावर प्रचलित नियम, अटी व शर्ती विचारात घेऊन पडताळणी करून फक्त पात्र प्रस्ताव आपल्या स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या मार्फत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांचेकडे सादर करावेत.

सहायक संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी शिफारस करताना खालील कागदपत्रे तपासून प्रस्ताव संचालकांना सादर करावा.

- १. संपूर्ण परिचय पत्रक.
- २. व्यक्तीने संपादित केलेले यश किंवा उत्कृष्ट कार्य.
- ३.शिफारस करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीने समाजसेवक, कलात्मक,समाज संघटनात्मक, अध्यात्मिक व साहित्यिक क्षेत्रात केलेल्या कामासंबंधी 10 वर्षे काम केल्याबाबतचा पुरावा तथा तत्संबंधी आवश्यक कागदपत्रे, प्रसिध्दी (वर्तमानपत्रे, मासिक इ.)व फोटोग्राफ्स इत्यादी
- ४.व्यक्तीचे पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
- ५. वयाचा पुरावा
- ६.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांचेकडे किंवा शासनाकडे तथा अन्य मार्गाने आलेले वैयक्तिक अर्ज/प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- ७. अपूर्ण शिफारशी विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

संस्थांसाठी :

- १) सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण हे पात्र संस्थांची (उपरोक्त क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्था) शिफारस प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या मार्फत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पूणे यांचेकडे करतील:-
- २) सहायक संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण शिफारस करताना खालील कागदपत्रे तपासून ती संचालकांना सादर करतील.
 - अ) संस्था खालीलप्रमाणे नोंदणीकृत असावी:-
 - क) संस्था नोंदणी अधिनियम १८६०
 - ख) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५०
 - ग) सेक्शन ८ ऑफ द कंपनी ॲक्ट,२०१३ (१८ ऑफ २०१३) अँड रुल १८ ऑफ द कंपनी (इनकॉर्पोरेशन) रुल्स,२०१४
 - ब) संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात कोणताही गैरव्यवहार नसल्याचे प्रमाणपत्र व संस्थेचे कार्य पक्षातीत राजकारणापासून अलिप्त असल्याबाबत प्रमाणपत्र.
 - क) संस्थेच्या कार्यासंबंधी माहिती व तत्संबंधी कागदपत्रे तसेच संस्था कोणते भरीव कार्य करते व आतापर्यंत संस्थेने त्यांचे उद्दिष्ट कितपत साध्य केले

| | | आहे यासंबंधी अहवाल. | | | |
|----|-------------|--|--|--|--|
| | | ड) संस्थेच्या घटनेची प्रमाणित प्रत व मागील वर्षांचे ३ सनदी लेखापालांचे | | | |
| | | | लेखापरीक्षण वार्षिक अहवाल. | | |
| ०८ | प्राप्त | | ंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी | | |
| | शिफारशींची | छाननी करण्यासाठी संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांच्या | | | |
| | छाननी | अध्यक्षतेख | अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे छाननी समिती गठीत करण्यात येत आहे :- | | |
| | | | | | |
| | | अ.क्र | पद | पदनाम | |
| | | १ | संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण | अध्यक्ष | |
| | | | संचालनालय,पुणे | | |
| | | २ | सह संचालक ,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे. | सदस्य | |
| | | 3 | कल्याण संचालनालय,पुण. संबंधित विभागाचे | пати | |
| | | २ | प्रादेशिक उपसंचालक, | सदस्य | |
| | | | इतर मागास बहुजन कल्याण | | |
| | | 8 | दोन विशेष निमंत्रित अशासकीय सदस्य | सदस्य | |
| | | 4 | संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य सचिव | |
| | | \ | संचालनालय,पुणे यांनी नियुक्त केलेला | (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((| |
| | | | अधिकारी | | |
| ०९ | शासनाची | १) संचाल | क,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय | ,पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत | |
| | मान्यता | छाननी समितीकडून प्राप्त शिफारशी/प्रस्ताव मा.मंत्री,इतर मागास बहुजन कल्याण यांच्या | | | |
| | | अध्यक्षतेखाली गठीत निवड समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविल्या जातील. निवड | | | |
| | | सिमतीच्या मान्यतेनंतर पुरस्कार जाहीर केले जातील. | | | |
| | | , | ड समितीची मान्यता अंतिम राहील. | . 0 | |
| १० | पुरस्काराचे | | रासिनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी केंद्री | _ | |
| | वितरण | | मंत्री/प्रतिष्ठित व्यक्ती यांच्याहस्ते पुरस्कार प्रदान केला जाईल आणि सन्मानपत्रावर | | |
| | | विभागाचे मंत्री व विभागाचे सचिव यांच्या स्वाक्षऱ्या असतील. पुरस्कारासाठी निवड | | | |
| | | झालेल्या व्यक्तीचे निधन झाले असेल तर त्यांच्या/तिच्या कायदेशीर वारसास पुरस्कार | | | |
| | | अदा केला जाईल. पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तींना हा पुरस्कार व्यक्तीशः दिला जाईल व | | | |
| | | संस्थेतर्फे हा पुरस्कार अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष अथवा संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीला दिण्यात येईल. | | | |
| ११ | समारंभाचा | | ा. तर मागास बहुजन कल्याण यांनी निश्चित केल | नेल्या दिनांकास " क्रांतीवीर रा जे | |
| `` | दिवस | | ाईक पुरस्कार " वितरण केले जाईल. | The state of the s | |
| १२ | खर्च | | त्रतरण समारंभ देयके आणि इतर आकस्मिक | खर्च इ. करीता होणारा खर्च इतर | |
| | | • | हुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी | | |
| | | कल्याण संचालनालय,पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवलेल्या मंजूर तरतुदीनुसार भागवावा आणि | | | |
| | | त्यासाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-ब मधील कार्यपध्दती अवलंबवावी. | | | |
| | | | | | |

परिशिष्ट-ब "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" समारंभासाठी खर्चाची पध्दती

| अ.क्र. | | तपशील |
|--------|---|---|
| ०१ | पुरस्कार विजेत्यास रोख बक्षिस | १. रु.२५,०००/- रोख रक्कम/धनादेश- विभाग स्तरावर |
| | | २. रु.५१,०००/- रोख रक्कम/धनादेश- राज्य स्तरावर |
| | | ३. रु.५१,०००/- रोख रक्कम / धनादेश- राज्य स्तरावर |
| | | -संस्थेसाठी |
| ०२ | पुरस्कार विजेत्यास प्रवास भत्ता | १) पुरस्कार विजेत्यास निवासस्थानापासून समारंभाच्या ठिकाणापर्यंत |
| | | आणि परतीचे रेल्वेच्या पहिल्या वर्गाचे प्रवासभाडे किवा इतर |
| | | सार्वजिनक वाहनांचे /एस.टी. बसेसचे प्रत्यक्ष भाडे पुरस्कार विजेत्या |
| | | आणि त्यांची पत्नी/ पती व त्यांची दोन मुले यांना दिले जाईल. |
| | | २) स्वयंसेवी संस्था पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष किंवा |
| | | उपाध्यक्ष किंवा संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या कमाल पाच (५)व्यक्तींना |
| | | संस्थेच्या ठिकाणापासून समारंभाच्या स्थळापर्यंत आणि परतीचे |
| | | रेल्वेचे पहिल्या वर्गाचे जाण्यायेण्याचे भाडे किंवा एस.टी. बसचे भाडे |
| | | किंवा इतर सार्वजनिक वाहनाचे प्रत्यक्ष भाडे दिले जाईल. |
| ०३ | इतर सवलती पुरस्कार् विजेता आणि त्याची पत्नी किवा पती व कमाल दोन | |
| | | मुले तसेच संस्थेचे कमाल पाच (५) प्रतिनिधी हे पुरस्कार देण्याच्या |
| | | ठिकाणी दोन दिवसांपर्यंत शासनाचे पाहुणे म्हणून राहतील. |
| | | पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती संस्थेचा प्रतिनिधी यांचे आगमन् व त्यांचे स्वागत |
| | | करणे, दुसऱ्या दिवशी पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजित करणे. |
| ०४ | सन्मानपत्र, शाल, साडी-खण इ. | १) पुरस्कार विजेत्यास शाल / साडी-खण आणि पुरस्कार विजेत्याच्या |
| | देणे | पत्नीस किंवा पतीस एक श्रीफळ (नारळ) दिले जाईल. |
| | | २) स्वयंसेवी संस्थेचा पुरस्कार मिळालेल्या संस्थेतर्फे, पुरस्कार |
| | | स्विकारणाऱ्या व्यक्तीस सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह (संस्थेचे नाव |
| | | लिहिलेले), शाल व श्रीफळ दिले जाईल. |
| ०५ | इतर संकीर्ण | हस्तपुस्तिकेच्या छपाईसाठी आणि आमंत्रण पत्रिकेसाठी होणारा खर्च |
| | आणि आकस्मिक खर्च | आणि इतर खर्च उदा. हॉलचे भाडे, स्टेज,मंडप, माईक सिस्टीम, |
| | | डिजीटल बॅनर, फर्निचर, पुष्पहार-गुच्छ, समूह छायाचित्रण, व्हिडीओ |
| | | शुटींग, प्रसिध्दी, जाहिराती, साधनसामुग्री, कामगार आणि अल्पोपहार |
| | | खर्च इ. खर्च प्रचलित दर विचारात घेऊन करण्यात येईल. |
| | | |

टीप:-संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील आणि यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मंजूरी देणे व ठरवून दिल्यानुसार खर्च करण्यासाठी त्यांना प्राधिकृत केले आहे व ते सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, हस्तपुस्तिका आणि आमंत्रणपत्रिका शासकीय मुद्रणालयाकडून छापून घेतील.

<u>परिशिष्ट-क</u> "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक"पुरस्कारासाठी समारंभासाठी खर्चाचा तपशील

| अ.क्र. | तपशील | रक्कम रुपये |
|--------------|--|-------------|
| (अ) | व्यक्ती व संस्थांवरील खर्च | |
| ०१ | पुरस्कारार्थी व्यक्तीस रोख पुरस्कार प्रत्येकी (१ x ५१,०००/- रुपये) - राज्य स्तरावर | ५१,०००.०० |
| ०२ | पुरस्कारार्थी व्यक्तीस रोख पुरस्कार प्रत्येकी (७ x २५,०००/- रुपये) - विभाग स्तरावर | १,७५,०००.०० |
| ०३ | पुरस्कारार्थी संस्थेला रोख पुरस्कार प्रत्येकी (१ X ५१,०००/- रुपये) | ५१,०००.०० |
| ०४ | पुरस्कारार्थी व्यक्तींना वूलनची शाल अथवा महिलांसाठी ब्लाऊसपीस (रु.१,०००/-किमतीपर्यंत) (८ X १,०००/- रुपये) | ८,०००.०० |
| ૦૫ | पुरस्कारार्थी संस्थेच्या प्रतिनिधींना वूलनची शाल अथवा महिलांसाठी ब्लाऊसपीस (रु. १,०००/-किमतीपर्यंत) (५ X१,०००/- रुपये) | ५,०००.०० |
| ०६ | पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंना स्मृतिचिन्ह व सन्मानपत्र (८ X ५,०००/- रुपये) | 80,000.00 |
| 00 | पुरस्कार प्राप्त संस्थांना स्मृतिचिन्ह व सन्मानपत्र (१ X ५,०००/- रुपये) | ५,०००.०० |
| ٥٤ | भोजनखर्च, राहण्याचा खर्च २ दिवसांसाठी, जाणे-येणे प्रवासभाडे पुरस्कारार्थी व्यक्ति, पती-पत्नीसह (कुटुंबासह- दोन मुले) / संस्थेचे पाच प्रतिनिधीसह (प्रचलित दरानुसार) | ४,५०,०००.०० |
| | एकुण "अ" | ७,८५,०००.०० |

(टीप- सदर खर्च महागाई निर्देशांकाप्रमाणे कमी-जास्त होऊ शकतो)

| (ब) | सामुहिक समारंभाचा खर्च | |
|-----|---|-------------|
| ०१ | हॉलभाडे, रंगमंच, सजावट व हॉल सजावट इत्यादी | १,५०,०००.०० |
| ०२ | श्रीफळ, पुष्पहार-गुच्छ इत्यादी | १०,०००.०० |
| ०३ | समूह छायाचित्र, विडीओ शुटींग, कामगार व साधनसामुग्री | 40,000.00 |
| ०४ | डिजीट्लबॅनर, प्रसिध्दी व जाहिराती खर्च | ५०,०००.०० |
| ०५ | लक्झरी बसभाडे, हारतुरे, रेस्ट हाऊस भाडे किंवा हॉटेल्स, निवासभाडे खर्च | 40,000.00 |
| ०६ | समारंभाच्या वेळी जेवणाचा खर्च (अंदाजे १५० व्यक्ती) | १,००,०००.०० |
| | एकुण "ब" | ४,१०,००.०० |
| | एकुण "अ" व "ब" | ११,९५,००.०० |

(टीप- सदर खर्च महागाई निर्देशांकाप्रमाणे कमी-जास्त होऊ शकतो)

परिशिष्ट-ड

व्यक्तीसाठी व संस्थासाठी "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" निवड करण्याकरीता राज्य स्तरीय निवड समिती

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, समाजसंघटनात्मक व आर्थिकदृष्ट्या विकास होण्यासाठी सामाजिक, कलात्मक, समाज संघटनात्मक, आध्यात्मिक व साहित्यिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कलावंत, साहित्यिक, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, आध्यात्मिक प्रबोधनकार व समाजसेवक व संस्थाना "क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक पुरस्कार" या पुरस्कारासाठी राज्य स्तरावर एक संस्था व एक व्यक्ति तसेच विभाग स्तरावर एकूण ७ व्यक्तिंची निवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात येत आहे.

| अ.क्र | पद | पदनाम |
|-------|--|------------|
| ०१ | मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण | अध्यक्ष |
| ०२ | मा. राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य |
| ०३ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य |
| | विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| ०४ | संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे | सदस्य |
| ०५ | मा.मंत्री (इमाबक) यांनी निमंत्रित केलेले दोन अशासकीय सदस्य | सदस्य |
| ०६ | सह सचिव /उप सचिव (संबंधित विषय), इतर मागास बहुजन कल्याण | सदस्य सचिव |
| | विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| | | |